Department of Revenue & Disaster Management
(Govt. of Haryana).
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017.

सेवा में

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।
2. हरियाणा राज्य के सभी विभागाध्यक्ष। (बोर्ड/निगम को छोड़कर)

यादी कमांक CFMS–754 –प्रशा0–I(2)–2022/512
चण्डीगढ़, दिनांक 18–02–2022

विषयः– **वित्तायुक्त कार्यालय, हरियाणा, चण्डीगढ़ में Steno-Typist Both Languages (English and Hindi) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण आधार पर भरने बारे।**

वित्तायुक्त कार्यालय, हरियाणा, चण्डीगढ़ में आशुटंकक (Steno-Typist) Both Languages i.e. English and Hindi के रिक्त पदों को राज्य सरकार के अन्य विभागों से Haryana Civil Services (Revised Pay) Rules,2016, Level 2 of Pay Matrix के वेतनमान में स्थानान्तरण आधार पर उन कर्मचारियों में से भरा जाना प्रस्तावित है, जिनकी प्रारम्भिक नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई हो। हरियाणा वित्तायुक्त कार्यालय (ग्रुप–ग) सेवा नियम, 1998 तथा संशोधित नियम, 2013 के अनुसार इस पद को स्थानान्तरण आधार पर भरने हेतु निम्नलिखित योग्यताएं/शर्तें आवश्यक हैं :–

(i). **10+2 प्रथम श्रेणी/ स्नातक या इसके समकक्ष ;**
(भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10+2 या सेना में पन्द्रह वर्ष की सेवा के साथ प्रथम श्रेणी का सेना प्रमाण–पत्र) ;

(ii). **मैट्रिक स्तर या उच्चतर शिक्षा मे एक विषय के रूप मे हिन्दी या संस्कृत** ;

(iii). 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि तथा 15 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन। अशुद्धियां आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

(iv). 64 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि तथा 11 शब्द प्रति मिनट की गति से उसका प्रतिलेखन। अशुद्धियां आठ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए,

(v). आशुटंकक द्विभाषी (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

कर्मचारी को एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के भीतर कम्पयूटर अप्रीशिएशन तथा ऐप्लिकेशन में **राज्य पात्रता परीक्षा (एस.ई.टी.सी.) पास करनी होगी** जिसमें असफल रहने पर उसे वापिस प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा, यह शर्त एक वर्ष तक विस्तार योग्य होगी।

2. जो इच्छुक उम्मीदवार उपरोक्त शर्तें/योग्यताएं पूर्ण करते हों, की **प्रारम्भिक नियुक्ति (Initial Appointment) का माध्यम** तथा पिछले वर्षो का **सत्यापित गोपनीय रिकार्ड** एवं **विभागाध्यक्ष की सिफारिश** सहित उनके नाम इस विभाग को कृपया दिनांक 04–03–2022 के सांय 05 बजे से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करे। स्थानान्तरण आधार पर आने वाले इच्छुक उम्मीदवारों के विरूद्ध हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के नियम–7 व 8 के अन्तर्गत कोई **अनुशासनिक कार्यवाही का मामला लम्बित न हो।**

P.T.O...

Department of Revenue & Disaster Management
(Govt. of Haryana).
New Secretariat Building Haryana, Sector 17, Chandigarh-160017.

3. इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्षो से यह भी अनुरोध है कि ऐसे किसी भी कर्मचारी का नाम की सिफारिश इस विभाग को न भेजी जाए, जिसकी नियुक्ति से संबंधित मामले किसी भी माननीय न्यायालय मे विचाराधीन/लंबित हो अथवा उपरोक्त योग्यताएं पूर्ण ना करता हो।

4. इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्षो से यह भी अनुरोध है कि एक भाषीय (Single Language) आशुटंकक के नाम की सिफारिश इस विभाग को प्रेषित न की जाए, जो मान्य नही है तथा **दोनो भाषाओ का अनुभव होने का स्पष्ट प्रमाण–पत्र** संलग्न करवाए।

5. इस संबंध मे पूर्ण जानकारी कार्यालय की Website https://revenueharyana.gov.in पर उपलब्ध है तथा किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतू श्री सोहन लाल शर्मा, अवर सचिव राजस्व (प्रशा0) को उनके मोबाईल नं0 7009175597 पर संपर्क किया जा सकता है। देरी या किसी अन्य कारण से आवेदन–पत्र अस्वीकृत होने की सूरत मे इस कार्यालय की जिम्मेदारी नही होगी।

अधीक्षक प्रशासन–I
कृतेः वित्तायुक्त राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

CC:-
Web Assistant (Record Branch).